न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1505–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–5–2017 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला हरदा के प्रकरण कमांक 50/अ–68/2016–17 ।

.....

हरिराम फूलरे आ0स्व0श्री गंगावीशन जी फुलरे
निवासी ग्राम कमताडा तहसील हरदा
जिला हरदा

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा : तहसीलदार हरदा
जिला हरदा

..... अनावेदक

.....

श्री जी0एस0शर्मा, अभिभाषक–आवेदक
श्रीमती रजनीवशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8।11।17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–5–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पटवारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा ग्राम कमताड़ा स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 218 रकबा 0.547 हेक्टेयर में से 0.50 हेक्टेयर पर मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 50/अ–68/2016–17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा 4 आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–5–17 को आदेश पारित कर एक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर शेष आवेदन पत्र निरस्त किये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि संहिता की धारा 248 मकान पर लागू नहीं होती है । यदि शासकीय भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है तब भी व्यवहार न्यायालय की डिक्री से ही अतिक्रमण हटाया जा सकता है । संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत राजस्व न्यायालयों को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र पर विस्तार से विवेचना नहीं कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा स्वयं आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि के बदले में अपने स्वामित्व की भूमि देना चाहता है परन्तु इस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विधिसंगत आदेश को स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से 4 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये है । प्रथम आवेदन पत्र ग्राम के निवासी राधेश्याम, विनायक एवं संजय को साक्ष्य हेतु

बुलाने के लिये, द्वितीय आवेदन पत्र ग्राम कुमावडा के सचिव को रिकार्ड की प्रति पेश कराने बावत्, तृतीय आवेदन पत्र नायब तहसीलदार के न्यायालय के प्रकरण को साक्ष्य में बुलाने हेतु तथा चौथा आवेदन पत्र राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने के कारण कार्यवाही स्थगित किये जाने बावत् प्रस्तुत किये गये । तहसीलदार द्वारा प्रथम आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर शेष तीनों आवेदन पत्र निरस्त किये गये है क्योंकि आवेदक की ओर से उनके समक्ष ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि पदेन सचिव, नायब तहसीलदार के प्रकरण बुलाये जाये और राजस्व मण्डल द्वारा कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–5–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर